समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक /2012

R. 112- PBR/13

परिधि कंस्ट्रक्शन,
शाप नं0. 9, गोयल निकेत,
प्रेस काम्प्लेक्स, एम0पी0 नगर, भोपाल
द्वारा भागीदार राकेश गुप्ता ---- पुनरीक्षणकर्ता

5-1-13

विरूद्ध

यूको बैंक,
शाखा मालवीय नगर, भोपाल
द्वारा शाखा प्रबंधक ---- उत्तरदाता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता विद्वान विचारण न्यायालय जिलाध्यक्ष, भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 234/बी-121/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26-07-2012, जिसकी जानकारी पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 10-10-2012 को प्राप्त होने से समयावधि में निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 112–पीबीआर/13 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय को कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेशों के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार है । यह भी कहा गया कि चूँकि यह प्रकरण दिनांक 5–1–2013 को ग्राह्य किया जा चुका है और ग्राहयता के समय तथा लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अनावेदक की ओर से क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, अतः अब क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार किया जाना उचित नहीं है । 2 प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत कलेक्टर, भोपाल द्वारा आदेश पारित किया गया है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत संहिता एवं अन्य अधिनियमितियों के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस	

न्यायालय को प्राप्त है । अन्य अधिनियम तथा अन्य अधिनियमितियों का उल्लेख संहिता की धारा 7 में किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम सम्मिलित नहीं है । अतः कलेक्टर द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है । कारण कलेक्टर द्वारा केवल संहिता के अंतर्गत अथवा धारा 7 में उल्लिखित अन्य अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश एवं की गई कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि एक बार प्रकरण ग्राह्य हो जाने के पश्चात दुबारा क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्षेत्राधिकार का बिन्दु किसी भी समय किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है और उसके संबंध में विचार करने की कोई बाध्यता नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष